


31



R 510-III/07

रामदास तनय रामावतार कुशवाहा निवासी ग्राम मझिगंवा, तहसील-  
त्यौधर जिला रीवामण्डल  
---निगरानीकर्ता

प्रभात कुमार तनय बिहारी कुशवाहा निवासी ग्राम मझिगंवा, तहसील  
त्यौधर जिला रीवामण्डल  
---गैर निगरानीकर्ता

न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय  
रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 142/  
निगरानी/ब2002-2003 मे पारित आदेश  
दिनांक 3-2-2007 के विरुद्ध निगरानी  
अन्तर्गत धारा 50 मण्डल ग्वालियर संहित

Presented by Sd/-  
Advocate/Applicant on

देवेश मिश्रा  
9/3/2007

Sealed

Supdt.  
Commissioner's office  
Rewa Division  
Rewa (M. P.)  
9/3/07

क्रमांक RP4779

रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा  
दिनांक 26-3-07 को

क्लर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी के शारांस:-

नायब तहसीलदार बृत्त रायपुर, तहसील त्यौधर जिला रीवा  
के न्यायालय मे अनावेदक प्रभात कुमार और उसके परिवार का संतोष  
कुशवाहा ने अलग-2 सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो सीमांकन  
किये जाने पर आवेदक ने उक्त दोनो सीमांकनो के विरुद्ध अपर जिला  
महोदय रीवा के न्यायालय मे निगरानी प्रस्तुत किया जो निगरानी  
स्वीकार की जाकर पुनः सुनवाई का अवसर देते हुये तहसीलकी उपोमे  
सीमांकन का आदेश पारित किया जिसके विरुद्ध अनावेदक प्रभात कुमार  
ब प्रक 142/निग0/2002-2003 एवं संतोष कुमार ने निगरानी  
143/निग0/2002-2003 अपर आयुक्त महोदय के न्यायालय मे प्र  
किया जो निगरानी अलोच्य आदेश दिनांक 3-2-07 को स्वीकार  
नायब तहसीलदार के किये गये त्रुटिपूर्ण सीमांकन को बंध ठहरा  
जिससे पीड़ित होकर निम्न आधारो पर यह निगरानी प्रस्तुत  
जा रही है।

रामदास

रामदास



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग-अ

जिला-रीवा


प्रकरण क्रमांक निग0 514-तीन/2007

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-9-16	<p>आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित । अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री कुवंर सिंह कुशवाह उपस्थित । आवेदक के अभिभाषक द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्र0क्र0 142/निग0/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 03.02.07 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा-50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्कों पर में वही तर्क दौहराये, जो निगरानी मेमो में अंकित है।</p> <p>3/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। निगरानी मेमो एवं उसके संलग्न आक्षेपित आलोच्य आदेश दिनांक 03.02.07 सहित संलग्न आवश्यक अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय तहसीलदार के सीमांकन आदेश को इस आधार पर नहीं माना है कि अधीक्षक भू-अभिलेख के द्वारा दिनांक 18.04.75 को रिपोर्ट दी गई थी कि वास्तविकता की जांच तहसीलदार द्वारा नहीं की गई है इसलिये सीमांकन उचित नहीं है । उनका यह निष्कर्ष विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है । सीमांकन की कार्यवाही एक</p>	



प्रशासनिक कार्यवाही है तथा सरहदी काश्तकारों की उपस्थिति में की जानी चाहिये । प्रस्तुत प्रकरण में सीमांकन की कार्यवाही सरहदी काश्तकारों की उपस्थिति में तथा स्थाई सीमा चिन्हों के आधार लेते हुये विधिसम्मत तरीके से की गई थी। जहां तक अधीक्षक, भू-अभिलेख की पैमाइश आदेश दिनांक 18.04.75 का प्रश्न है । अधीनस्थ न्यायालय ने किस आधार पर प्रमाणित माना है। इसका कोई स्पष्ट उल्लेख भी नहीं किया है । आवेदक ने आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत न कर मात्र छायाप्रति प्रस्तुत की है और छायाप्रति के आधार पर पूरी सीमांकन कार्यवाही को निरस्त करना उचित एवं न्यायसंगत नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 03.02.07 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है और आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है ।

  
(के०सी० जैन)  
सदस्य